

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या पी0पी0एम0-41/2012

2458

/कृ0, पटना दिनांक 15/5/2015

प्रेषक,

रामजी सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप

से परामर्शित

#द्वारा - वित्त विभाग।

विषय -

कृषि रोड मैप अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के अंगीभूत महाविद्यालयों में कृषि, उद्यान, गव्य प्रौद्योगिकी एवं पशु चिकित्सा में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को स्टाईपेंड के भुगतान के लिए वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जनजाति के लिए 4.20 लाख रुपये (चार लाख बीस हजार रुपये) सहायक अनुदान के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :

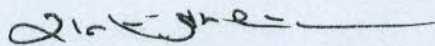
स्वीकृत।

निदेशानुसार कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या- 4495 दिनांक: 29.08.2012 तथा कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या- 2990 दिनांक: 12.06.2013 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के अंगीभूत महाविद्यालयों में कृषि, उद्यान, गव्य प्रौद्योगिकी एवं पशु चिकित्सा में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को स्टाईपेंड के भुगतान के लिए वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जनजाति के लिए 4.20 लाख रुपये (चार लाख बीस हजार रुपये) सहायक अनुदान के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या- 4495 दिनांक: 29.08.2012 तथा कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या- 2990 दिनांक: 12.06.2013 द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

3. उक्त योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 4.20 लाख रुपये (चार लाख बीस हजार रुपये) का व्यय बजट मुख्य शीर्ष "2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उपमुख्य शीर्ष-01-फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष 796-जनजातिय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष 0104- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर विपत्र कोड P2415017960104 राज्य योजना स्कीम कोड- AGR 5042 विषय शीर्ष 31 04 सहायक अनुदान-वेतन में उपबंधित राशि 1.00 करोड़ रु०, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण में उपबंधित राशि 7.00 करोड़ रु० एवं विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा में उपबंधित राशि 80.00 लाख रु० कुल उपबंधित 8.80 करोड़ रुपये में से विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा में उपबंधित राशि 80.00 लाख रु० में से विकलनीय होगा।

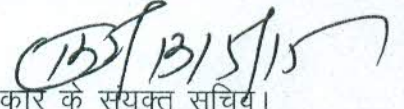
4. स्वीकृत राशि 4.20 लाख रुपये (चार लाख बीस हजार रुपये) की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को 4.20 लाख रुपये उपलब्ध करायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालय/कार्यान्वयन एजेंसी को राशि विमुक्त की जायेगी। विमुक्त राशि के विरुद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है, इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा, जो राज्य सरकार से स्वीकृत है।



ज्ञापांक- 2458

/कृ0, पटना दिनांक 15/5/2015

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना /उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/ कृषि मंत्री के आप्त सचिव /प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/ कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक(सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

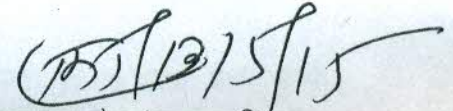

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 2458

/कृ0, पटना दिनांक 15/5/2015

प्रतिलिपि:- कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/प्राचार्य, तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली/मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली/कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा/बिहार कृषि महाविद्यालय, सबौर/मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, सहरसा/भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया/उद्यान महाविद्यालय, नालंदा/वीर कुँवर सिंह कृषि महाविद्यालय, झुमराँव/संजय गांधी डेयरी तकनीकी संस्थान, पटना/पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/ प्रधान सचिव, कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21-5-2015


सरकार के संयुक्त सचिव।